ISSN:2395-1079

Available online at http://wwwSajms.edwin.co.in

South Asia Journal of Multidisciplinary Studies SAJMS June 2019, Vol. 5, No 6

उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका

बजरंगी मंडल
शोधार्थी
कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर,छत्तीसगढ़

डॉ. शर्मिला
शोध-निर्देशिका

सार

इस लेख में हम उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अधिक संस्थान और रणनीतियाँ होने के बावजूद अभी भी भारतीय शिक्षा प्रतिस्पर्धी नहीं है और वैश्विक स्तर की तुलना में शैशव अवस्था जैसा प्रदर्शन कर रही है, जबकि राष्ट्रनिर्माण मे शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बदलते परिवेश में निजी क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की संख्यात्मक वृद्धि काफी तेजगति से हुई है, परन्तु इन सबका गुणात्मक परिणाम समालोचनात्मक विश्लेषण की मांग करता है।

सूचकशब्द: उच्च शिक्षा, निजी विश्वविद्यालय, भूमिका

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे प्रमुख श्रोत है। यह किसी भी राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति का द्योतक है। स्वामी विवेकानन्द का यह कथन कि ‘‘हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें शिक्षा का अभाव है। अतः यदि देश को प्रगतिशील बनाना है तो सर्वप्रथम हमें जनसाधारण को शिक्षित करना होगा“। अतएव यह स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र में योग्य एवं कुशल नागरिकों के उचित निर्माण या निसंतुलित विकास का उत्तरदायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति की आदतों, प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं दक्षताओं आदि का विकास होता है। डा. ए.एस. आल्तेकर ने कहा है कि ‘‘शिक्षा प्रकाश का वह श्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है।“

उच्च शिक्षा कक्षा बारह की शिक्षा के उपरान्त प्रारम्भ होती है। उच्च शिक्षा, शिक्षा का वह स्तर है जो किशोरावस्था के अन्तिम चरण एवं युवावस्था के मध्य तक चलती है। यह

शिक्षा देश को प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है। अतः जिस स्तर का नेतृत्व देश की उच्च शिक्षा विकसित करेगी उसी स्तर तक देश का विकास सम्भव हो सकेगा।

निजीविश्वविद्यालयोंकेगठनसेसंबंधितमानदण्ड

भारत में "निजी विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य / केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से विधिवत स्थापित किया जाता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, या किसी अन्य राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी/ संस्था/ सोसायटी या ट्रस्ट ही प्रायोजक निकाय के तौर पर निजी विश्विद्यालय के गठन के लिए आर्हता रखता हो।

निजी विश्वविद्यालय आकार, नामांकन, पाठ्यक्रम, वित्तपोषण प्राधिकरण, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता में भिन्न हैं। केवल कुछ विश्वविद्यालय ही गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और कुछ गुणवत्ता से संबंधित नहीं हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का सबसे अच्छा विकल्प है।

एक विश्वविद्यालय को ट्रस्ट, सोसाइटी, गैर लाभकारी संस्था होना चाहिए या ऐसी संस्थाओं द्वारा संचालित होना चाहिए। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के यही दो तरीके हैं। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के किसी अधिनियम (केंद्रीय विश्वविद्यालय) या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम (राज्य विश्वविद्यालय) द्वारा की जाती है। अब तक संसद के अधिनियम द्वारा किसी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है।

निजी विश्वविद्यालयों के उद्भव और विकास को हाल के वर्षों की एक अभूतपूर्व घटना माना जा सकता है। हालाँकि, निजी विश्वविद्यालय हमारे देश में उच्च शिक्षा के अवसरों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ एक व्यापक आरोप लगाया गया कि कुछ प्रमाण पत्र, आसानी से प्राप्त होने वाली डिग्री, बहुत खराब शिक्षण योग्यता, खराब बुनियादी ढांचा, उच्च ट्यूशन फीस इत्यादि बेच रहे हैं। इस संदर्भ में यह अध्ययन शिक्षा गुणवत्ता (IQ) को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है।

उच्च शिक्षा का बढ़ता निजीकरण

पिछलेदोदशकोंमें, तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने शिक्षित और कुशल श्रम शक्ति की भारी मांग को जन्म दिया है। वास्तव में, पिछले कुछ दशकों में, यह निजी क्षेत्र रहा

है जिसने वास्तव में भारतीय उच्च शिक्षा में क्षमता-सृजन किया है। उच्च शिक्षा में निजी उपस्थिति को 1980 के मध्य से शुरू किया गया, जिसमें भारत सरकार (राज्यों) और राज्यों द्वारा निवेश को कम किया गया। 2001 में, जब सभी निजी शिक्षण संस्थानों में निजी उच्चतर संस्थान 42.6 प्रतिशत थे, तो 32.8 प्रतिशत भारतीय छात्र वहाँ पढ़ते थे। 2006 तक, निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 63.2 प्रतिशत हो गई और उनके छात्र की हिस्सेदारी 51.5 प्रतिशत हो गई।

उच्च शिक्षा का निजीकरण उच्च शिक्षा पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इतना ही नही फार्मेसी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि निजी शिक्षा अपवाद के बजाय आदर्श हैं और उच्च शिक्षा का निजीकरण अब भारत में एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। आलोचकों का तर्क है की शिक्षा विशेष रूप से सरकार के हाथों में रहना चाहिए। इससे असहमत होना मुश्किल होगा कि भारतीय उच्च शिक्षा चुनौतियों के पैमाने और जटिलता को देखते हुए, सरकार अपने दम पर सभी मुद्दों का सामना नहीं कर सकती है।

यह कहना सही नहीं होगा, कि निजीकरण भारत की सभी उच्च शिक्षा समस्याओं का रामबाण इलाज है। वास्तव मे सरकार द्वारा गिरते शिक्षा खर्च के साथ मिलकर, निजी उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी मांग में तब्दील हो जाती है।

भारतीयउच्चतरशिक्षाक्षेत्रमेंनिजीकरणकीप्रकृतिकीजांचहोजानेकेबादइसपहेलीकाउत्तर समझना आसान हो जाएगा। बढ़ते निजीकरण ने सार्वजनिक कॉलेजों पर दबाव कम कर दिया है, लेकिन यहां तक कि उनके सबसे उत्साही समर्थकों को यह दावा करना मुश्किल होगा कि निजी संस्थानों ने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुसंधान और विकास, और सीखने के परिणामों में बहुत सुधार लाया है। यह इस तथ्य पर विचार करने के लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च शिक्षा अभी भी अर्थव्यवस्था में सबसे विनियमित क्षेत्रों में से एक है। उच्च शिक्षा में निजीकरण कुछ तर्क-वितर्क वाली कहानी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आधे समाज वाद से आधे पूंजीवाद की ओर बढ़ गई है ।

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आई.टी. और आई.टी.ई.एस.), दूरसंचार, बैंकिंग, आदि जैसे बदलते क्षेत्रों में निजी उद्यम द्वारा निभाई गई भूमि का स्पष्ट है। आज, आई.टी. के विकास की कहानी ने भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर सशक्त स्वरूप प्रदान किया है। ये क्षेत्र उस प्रगति के चमकदार उदाहरण हैं जो तब उभर कर सामने आए हैं, जब निजी उद्यम को स्वतंत्र और उत्साहजनक तरीके से कार्य करने की अनुमति दी गयी है। दुर्भाग्य से, उच्च शिक्षा के संचालन हेतु वर्तमान वातावरण कुछ चुनौतियां प्रदान करता है, इसमे वांछित सुधार की आवश्यकता है, जिससे निजी छेत्र से जुड़े गंभीर पेशेवर भी निजी शिक्षण संस्थानों का गठन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके।

(1) शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को समयानुकूल तथा बाजारोन्मुखी बनाया जाए।

(2) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सैट, जी.आर.ई. एवं जी मैट के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएं तथा एक आधार पर इनमें प्राप्त प्राप्तांक बनाया जाए।

(3) शिक्षकों के लिए सतत्प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास के लिए कानून बनाया जाए।

(4) विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों तथा स्कूलों के स्तर को निर्धारित करने के स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उनकी रेटिंग कराई जाए तथा उनका स्तर तय किया जाए।

(5) शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए। प्रारम्भ में इसे विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा तक सीमित किया जाए।

(6) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले संस्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए।

(7) सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इस बात की सहमति बनाई जाए कि वे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं से दूर रहेंगे। विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण सस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगाई जाए।

ISSN:2395-1079

Available online at http://wwwSajms.edwin.co.in

South Asia Journal of Multidisciplinary Studies SAJMS June 2019, Vol. 5, No 6

(8) स्नातक स्तर और उससे ऊपर हर क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाए।

(9) अर्थ व्यवस्था को नियन्त्रण से मुक्त किया जाए ताकि शिक्षा के लिए बाजार का विकास हो सके।

(10) विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कम की जाए तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाए।

(11) उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के सस्थानों की मदद करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियो के कर्ज दिलाने में वित्तीय गारण्टी देने, पाठ्यक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जाए।

(12) कम सरकारी सहायता पाने या नहीं पाने वाले शिक्षण सस्थानो के सचालन तथा पाठ्यक्रम चयन में कल्पनाशीलता की स्वतन्त्रता दी जाए।

(13) विज्ञान, तकनीकी, प्रबन्धन तथा वित्तीय क्षेत्रा मै पढाई के लिए नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 'निजी विश्वविद्यालय अधिनियम' बनाया जाए। इन सुझावो से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में निजीकरण की शुरुआत हो चुकी है तथा विशेष रूप से इंजीनियरिग, चिकित्सा, प्रबधन, कम्प्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है।

अत: वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा के निजीकरण को रोक देना अव्यावहारिक तथा अप्रासंगिक होगा। हों, इसके परिणाम आशाजनक तथा अच्छे हों इन बातों पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए।

सुझाव:

(i) कमजोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को इन संस्थानों मे शुल्को में पूरी छूट मिलनी चाहिए। इन सस्थानों मे प्रवेश का आधार केवल 'मैरिट' ही रहना चाहिए।

(ii) निजी क्षेत्रों को मान्यता देते समय इस बात का सुनिश्चय हो कि वे केवल ख्याति प्राप्त सस्थाओं को ही मिले ताकि उनमे वाणिज्यिक तौर पर कमाई का साधन बनाने की प्रवृत्ति न पैदा हो।

(iii) सस्थानो द्वारा सचालित पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण कार्य की प्रभावशीलता की नियमित जांच हो।

(iv) निजी क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों की गुणवता और उनके उत्पाद की प्रभावशीलता की जाँच के लिए भी अलग से नियमित जाच की व्यवस्था हो, ताकि वे अपनी गुणवत्ता के प्रति सजग रहें ।

वर्तमान उदारीकरण के इस युग मे आर्थिक स्थिति को देखते हुए उच्च शिक्षा में निजीकरण की भागीदारी को नकारना व्यावहारिक नहीं लगता। हाँ, इसके निजी करण की प्रक्रिया को अपनाते समय इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि निजीकरण से इस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े ।

उच्च शिक्षा के निजी और सार्वजनिक दोनो ही क्षेत्रो मे आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है तथा इसमें व्याप्त विमगतियो को दूर कर दोनो क्षेत्रो को एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

भारतमेंनिजीउच्चशिक्षाकीपृष्ठभूमि

भारत में उच्च शिक्षा काफी हद तक सरकार के संरक्षण में रही है और हाल ही में शिक्षा के वित्तपोषण और प्रावधान दोनों के मामले में 2000 के दशक में भारत सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता महसूस कीक्यों किय हस्पष्टथा कि भारत में सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह उच्च शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। निजी विश्वविद्यालय परोपकारी, धार्मिक और निजी संगठनों और नींव द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और लाभ के लिए संगठनों द्वारा नहीं। वर्तमान में भारत में 165 निजी विश्वविद्यालय हैं। कुछ विश्वमानक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन गुणवत्ता संस्थानों ने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक जमीन तैयार की है जो वे प्रदान कर रहे हैं।

हालाँकि, निजी विश्वविद्यालय हमारे देश भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ व्यापक आरोप लगाए गए कि आसान डिग्री, उच्च ट्यूशन फीस, आदि। इस संदर्भ में यह अध्ययन निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक पहल है

जो उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जमीनी हकीकत पर, इस अध्ययन ने निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को जानने की पहल की है।

उपसंहार

इस अध्ययन से यह पता चला है कि भारत में निजी उच्च शिक्षा देश में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी हो रही है। निजी शिक्षण संस्थानों के अथक और निरंतर प्रयास के बावजूद, गुणवत्ता अभी तक वांछित स्तर पर हासिल नहीं हुई है। निजी शिक्षा की लागत पर विचार करने के लिए एक और आयाम है, क्योंकि यह भारत में अप्रभावी है, और यदि लागत कम की जानी है तो अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अनीस, (2013): निजी और सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की जाब संतुष्टि और कार्य करने के लिए प्रेरणा और व्यावसायिक आकांक्षाओं के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन, पी-एच.डी., अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. राघवन, हेमा (2011): उदारीकरण, निजीकरण और शिक्षा का वैश्वीकरण: एक आकलन, विश्वविद्यालय समाचार, खंड.49 (37), 12-18 सितंबर, 2011। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली, पृष्ठसं. 08-10
3. ओलायमी, एबियोडून-ओयबेंजी (2011): नाइजीरिया में निजी विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन की ओर, शिक्षा अनुसंधान और नीति अध्ययन में उभरते रुझान के जर्नल 2 (6), पृष्ठ सं. 526-530 / स्कॉलर लिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्नल्स, 2011
4. एम ए अशरफ, छात्र परिप्रेक्ष्य, पन्ना (खंड.24), (2016) से निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा के निर्धारक।
5. विदुशी (2014): व्यावसायिक संस्थानों के शिक्षकों के बीच नौकरी की संतुष्टिका एक अध्ययन, पीएच.डी. एडू, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक।
6. जमाल, शकट ए. एन. एम., (2002), "मानव संसाधन विकास में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका", 24 फरवरी, 2009 को लिया गया, भारत में निजी विश्वविद्यालय और

शिक्षा की गुणवत्ता मानविकी सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (IJHSSE) पृष्ठ 144

7. अबूनसेर (2013), "बांग्लादेश में निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता: संकाय संसाधन और बुनियादी ढांचे के परिप्रेक्ष्य", सामान्य और सतत शिक्षा विभाग (GCE), उत्तर दक्षिण विश्वविद्यालय, ढाका, Google 12 अगस्त 2015 से डाउनलोड किया गया।
8. एच.एस.आक्रेम, बांग्लादेश के निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता में शिक्षा की धारणा: छात्रों के दृष्टिकोण से एक अध्ययन, उच्च शिक्षा के लिए विपणन के पत्रिकाओं (खंड.22), (2012)।
9. अग्रवाल, पी. (2006). भारत में उच्च शिक्षा: बदलाव की आवश्यकता आई.सी.आर.आई.ई.आर. (अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद) वर्किंग पेपर नंबर 180।
10. स्टीवर्ट, फेल्डमैन, किम्बर्ली (2007): सार्वजनिक उच्च शिक्षा, संतुलन, शैक्षणिक, राजकोषीय और चिह्नित मूल्यों का व्यावसायीकरण। पीएचडी: न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय, निबंध सार इंटरनेशनल में, खंड 68 (7) I